



गांव-गांव तक पक्की सड़क, पक्के इरादे

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीते साढ़े 11 वर्षों में करीब 1.47 लाख स्कूल, 83 हजार हॉस्पिटल और 1.39 लाख कृषि केंद्र और 3.28 लाख परिवहन संसाधन सड़क नेटवर्क से जुड़े

ग्रामीण विकास से राष्ट्र निर्माण



CBC 35101/13/0043/2526

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट टैक) आमेर जिला जयपुर
अर्चना गुप्ता विरूद्ध बसन्ती देवी वगै, वाद बाबत विभाजन व रचना निषेधाज्ञा वाद संख्या 68 सन 2025

बनार महावीर प्रसाद पुत्र दानामा जाति महाजन स्थान ग्राम जेठुवाला बास तह फतेहपुर जिला सीकर जादीया ने आपके विरुद्ध कोर्ट में प्रकरण के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इन न्यायालय में तारीख 07.01.26 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजाल (हाज़िर) होने के लिए बचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसी एजीडर द्वारा उपसंजाल हो सकते हैं जिसे समयक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी साक्ष्य प्रस्तुत का उत्तर दे सकें या जिसके द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दखल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दखल / सुझाव का दावा या प्रतिवादा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे में शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के सबे या प्रतिवादे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजाल नहीं होंगे तो बाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 24/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

आशा से
सहायक कलेक्टर (फास्ट टैक)
आमेर, गुजरातराज जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEVJAJPUR/ITRUST/2025/1027
सूचिक प्राप्ती श्री RAISA PATHAN 744 KISHAN BAG, KACHOCHI BASTI, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्त्यास क्राइम वीर अमेरट सुमन दूरट SURVEY NO. 102 KISHAN BAG, VIJAY NAGAR KACHOCHI BASTI, SHASTRI NAGAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्त्यास जिरक्री जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्त्यास के सम्बन्ध में आपत्ति, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निगमित किया जायेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।
आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेसी 05.03.2026

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEVJAJPUR/ITRUST/2025/1010
सूचिक प्राप्ती श्री NEHA JAIN, 65-B KHWAS JI KA BAGH SUNDHI BASTI DURGAPURA JAIPUR 302018 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्त्यास SANKALP NEST FOUNDATION TRUST PLOT NUMBER 18 VISHUNUPURI COLONY DURGAPURA JAIPUR 302018 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्त्यास जिरक्री जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्त्यास के सम्बन्ध में आपत्ति, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निगमित किया जायेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।
आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेसी 27.02.2026

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम



नम्बर मिलाइए

95877884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका किशनगढबास, खैरथल-तिजारा लोक सूचना
क्रमांक - 4433 दिनांक - 24/12/2025

आवेदन / खालेदार की वैधानिक चंद पुत्र की जमादीक चंद, श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री केव्हरसिंह, श्री बलवानलाल एप्री श्री लीपुसम, श्री राजेन्द्र पुत्र श्री विरानलाल निवासी गुमानव सहो व जिला गुमानव राज्य हरियाणा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का निरंकुशिक प्रोजेक्ट के अवयव हेतु ऐसी भूमि के अपने अपने अभिलिखित अधिकारों के निर्वाहन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
किशनगढबास, खैरथल-तिजारा	कुलताजपुर हल्वा पटवार कुलताजपुर	681,677,648,652,653, 655,659,676,654	1.6000 है।

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिलिखित अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्णतः प्रोजेक्ट के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुमति देना चाहते हैं और अभिलिखित के निर्वाहन पर कोई आशंका है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर-भीतर कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान आवेदनपत्रों के समस्त सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन प्राप्त करने के भीतर-भीतर किसी आशंका के अभाव में यह सूचना जारी कि किसी को आशंका नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा प्रस्तावित है। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज 24.12.25 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका किशनगढबास

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामोविभाग), जयपुर
सर्वो अधिकार सक्षम, जिला कलेक्टर, कलिया, जयपुर
E-Mail ID : pd-jalp-jd@nic.in, Phone No. : 241222-2039

क्रमांक : एक.06(01)एड/सर्वो सक्षम क्रमांक 3/2025-26 दिनांक : 17/12/2025

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 3/2025-26

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन्स, जयपुर) अन्तर्गत "वाई 37 के अन्तर्गत जिला परिषद ग्रामोविभाग जयपुर के कार्यालय में सुविधाओं का विकास, आवश्यक निर्माण, उन्नयन कार्य एवं अन्य विकास कार्य करने हेतु" के निर्माण कार्य हेतु इच्छुक संवेदकों से जीएसटी पंजीकृत पंचायती राज विभाग /राजकीय विभाग एवं राजकीय उपक्रम में पंजीकृत फर्मों /संवेदकों से निर्माण कार्य हेतु ई-प्रोक्चरमेंट पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://sapp.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

NIB :- ZJP2526A1356, UBN :- ZJP2526W50B02036

सह.सच.द(वी)/25/16437 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शव तिरंगा यात्रा के बीच पावटा से गांव बड़नगर पहुंचा जहां शहीद अमर रहे के गगनभेदी नारों के बीच जवान की अंतिम यात्रा निकाली गई

राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के ग्राम बड़नगर निवासी सीआईएसएफ जवान शंकर लाल जाट का अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर सैनिक सम्मान से हुआ। इससे पहले सीआईएसएफ जवान शंकर लाल जाट

पावटा में तिरंगा यात्रा के साथ घर पहुंचा सीआईएसएफ जवान का शव।

सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि 40 वर्षीय जवान शंकर लाल जाट सीआईएसएफ टर्निंग सेंटर थकोला तमिलनाडु में कार्यरत थे, अपनी यूनिट (चेन्नई) में ड्यूटी पर तैनात थे। इसके बाद जवान शंकर लाल जाट का शव बुधवार दोपहर को ही घर पहुंचा। जहां अंतिम दर्शन के बाद अंतिम क्रिया की गई। जवान की मौत

चोरी की यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चोरों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी।

चोरी की यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चोरों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं।

खोया पाया

मेरे प्लॉट नं. 109 एवं 110, विनायक रेजीडेंसी, लखावास, करवाडा रोड, सांगानेर, जयपुर के मूल दस्तावेज अलोटमेंट लेटर, साईट प्लान एवं रसीदे कहीं खो गये हैं। कृपया मिलने पर सूचित करें। गिरीश चौधरी 9829067161

मेरे प्रॉपर्टी 9(E)853(C) इन्ट्रा गांधी नगर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गए हैं। सूचना मिलने पर सूचित करें। खेमराज मीना, 9414336527

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सत्यनारायण कुमावत से बदलकर सत्यनारायण रख लिया है। भविष्य में मुझे सत्यनारायण के नाम से ही जाना पहचाना जावे निवासी ई-46 करधनी गोविंदपुरा जयपुर

मैं मुमल सिंह, पूर्व में मुमल बेश, पुत्री महेंद्र बेश, निवासी-24 महादेव नगर, जयपुर-302013, ने अपना नाम मुमल बेश से बदलकर मुमल सिंह शायथ पत्र दिनांक 28-जुलाई-2018 द्वारा किया है।

I,MUSKAN MEENA d/o Shankarlal Meena R/o Bass ki dhani, gunawata,dhand, amer, Jaipur, Rajasthan -302028 declared that My name in aadhar card is Muskan Meena which has now been changed to Meena Muskan Shankarlal as per my 10th Marksheets.Henceforth,I shall be known as Meena Muskan Shankarlal.

I HAVE CHANGED MY NAME FROM RAMESH KUMR TO RAMESH KUMAR THEREFORE I WILL BE KNOWN OR DISTINGUISHED IN PUBLIC BY NEW NAME OF RAMESH KUMAR,V.P.O.KHUDANIA JHUNJHUNU RAJASTHAN-333031

I, Samundeeswari A, spouse of No-17006364F Hav-Ashok kumar M resident of Vill -Anna Nagar P. O-Mittahalli (Teh & Dist)- Krishnagiri Sate- Tamil nadu Pin-635112 have changed my Name from Samundeeswari A to Samundeeswari R vide Affidavit No IN-RJ461055313510ID3X dated 18 Dec 2025 before Notary public Sanganer Jaipur (Raj.)

I have changed my name from Devendra agawal to Devendar Agawal r/o flat no f-102 Aditya residency plot no d 52 RAS colony jagatpura Jaipur

I have changed my name from reshma bano to reshama parvin r/o 04 mahaveer Nagar -b station road sanganer Jaipur

प्रभारी भजनाराम सहित जनप्रतिनिधियों व लोगों ने जवान को श्रद्धांजली अर्पित की। 40 वर्षीय जवान शंकर लाल जाट की सेना में नियुक्ति 10 साल पहले हुई थी। 16 साल पहले रजनेश के साथ विवाह हुआ था। उनके तीन बेटियां हैं जिनमें अंशोता 16 वर्ष, तोषिका 3 वर्ष व एक 8 माह की बेटी लड्डू है। दो भाइयों में सबसे बड़ा भाई राजेंद्र जाट ज्यों कि

मार्मी से रिटायर होकर पटवारी पद पर कार्यरत है। बड़े माता- पिता प्रहलाद जाट व छोटी देवी घर पर ही रहते हैं। पावटा पहुंचने के बाद जवान शंकर लाल जाट के शव को बाइक तिरंगा रेली के साथ घर लाया गया। जिसमें नारे लगाते हुए गांव के युवा शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने भी जगह जगह पुष्प वर्षा की।

मार्मी से रिटायर होकर पटवारी पद पर कार्यरत है। बड़े माता- पिता प्रहलाद जाट व छोटी देवी घर पर ही रहते हैं। पावटा पहुंचने के बाद जवान शंकर लाल जाट के शव को बाइक तिरंगा रेली के साथ घर लाया गया। जिसमें नारे लगाते हुए गांव के युवा शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने भी जगह जगह पुष्प वर्षा की।



सांभर फेस्टिवल

27-31 दिसम्बर, 2025 | सांभर

राजगढ़ बंद पूर्ण सफल

राजगढ़ (निसं)। कस्बे में राजगढ़ के नाम से स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को बाहर खोलने के विरोध को लेकर बुधवार को राजगढ़ बंद पूर्ण सफल रहा। राजगढ़ आवाज मंच एवं व्यापारियों के समर्थन में बंद के आन के बाद बुधवार बुधवारको मंच के मुकेश जैन एवं व्यापारियों सहित अन्य प्रमुख जागरूक लोगों ने पंडित भवानी सहाय स्मारक से जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान मंच के सदस्यों ने राजगढ़ बंद के दौरान प्रमुख भजनों के बैंड के बाद गोल मार्केट पर सभा का आयोजन किया गया। इसमें सभी वक्ताओं ने केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोलने की मांग की। राजगढ़ से बाहर केंद्रीय विद्यालय खोलने को राजगढ़ के हितों के साथ कूटाराघात बताया। प्रमुख मार्गों में कार्यकर्ताओं की रैली के बाद गोल मार्केट पर सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में दर्जनों वक्ताओं ने राजनीति से ऊपर उठकर राजगढ़ के भविष्य को लेकर केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ की जरूरत बताया। आमसभा में मुकेश जैन, सरपंच राजू वकाल, पंचायत समिति सदस्य एन एन वर्मा, सुरजीत सिंह, अजय प्रधान, पार्षद धर्म सिंह धर्मा, अशोक शर्मा, उमेश सैनी, एवं अनेक वक्ताओं ने विचार व्यक्त किया। गुरुवार को सब्जी मंडी भी बंद रहेगी। वर्ष 2020 में राजगढ़ के नाम से एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होने के बाद गुपचुप में रेंगी के दलालपुरा में खोलने के प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर राजगढ़ आवाज मंच एवं अनेक संगठनों ने केवीएस को राजगढ़ में खोलने को लेकर बंद का आन्दोलन किया। गुरुवार से राजगढ़ बंद के आंदोलन में महिला शक्ति एवं अन्य समाजों के जुड़ने की संभावना है।



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका किशनगढबास, खैरथल-तिजारा लोक सूचना

क्रमांक - 4433 दिनांक - 24/12/2025

आवेदन / खालेदार की वैधानिक चंद पुत्र की जमादीक चंद, श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री केव्हरसिंह, श्री बलवानलाल एप्री श्री लीपुसम, श्री राजेन्द्र पुत्र श्री विरानलाल निवासी गुमानव सहो व जिला गुमानव राज्य हरियाणा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का निरंकुशिक प्रोजेक्ट के अवयव हेतु ऐसी भूमि के अपने अपने अभिलिखित अधिकारों के निर्वाहन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
किशनगढबास, खैरथल-तिजारा	कुलताजपुर हल्वा पटवार कुलताजपुर	153,154,155	1.6000 है।

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिलिखित अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्णतः प्रोजेक्ट के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुमति देना चाहते हैं और अभिलिखित के निर्वाहन पर कोई आशंका है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर-भीतर कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान आवेदनपत्रों के समस्त सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन प्राप्त करने के भीतर-भीतर किसी आशंका के अभाव में यह सूचना जारी कि किसी को आशंका नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा प्रस्तावित है। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज 25.12.25 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका किशनगढबास



खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, 2025-26

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, बजाज नगर, जयपुर (राजस्थान की प्रमाणित खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं का मध्यवर्ती संगठन)

प्रदर्शनी दिनांक 20 नवंबर 2025 से प्रारम्भ
समय दोपहर 12 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक

प्रवेश नि:शुल्क **पाकिंग नि:शुल्क**

प्रांतीय खादी वस्त्रों पर 50% की छूट **परप्रांतीय उत्पादित खादी वस्त्रों पर 25% की छूट**

प्रदर्शनी स्थल **राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, बजाज नगर, गांधी नगर टेलवे स्टेशन के सामने, जयपुर**

(खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार, द्वारा प्रसारित)



श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री



श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

राजस्थान सरकार का अनुरोध है कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं

पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन, जयपुर

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर, फोन: 0141-2822863

✉ trcjaipur-dot@rajasthan.gov.in 🌐 www.tourism.rajasthan.gov.in

📱 rajasthantourism 📺 my_rajasthan 📺 rajasthan_tourism 📺 Rajasthan Tourism Channel

अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम में बदलाव संभव है

राजस्थान सरकार